

ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश में गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। ✓

4. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है  
हाँ/ नहीं ✓

ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों)  
ग नाम, एवं और दोनों सानिल अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी  
प्रवित (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही नहीं

ii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है हाँ/ नहीं ✓

5. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति। वाटरजॉना ५५०

i) अंवरिथति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए  
ए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे हैं। वाटरजॉना ५५१

ii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000  
प के मूल में स्थल परंतु भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। वाटरजॉना ५५२

v) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक  
रोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं हाँ/ नहीं.

) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : ₹५.०

i) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के  
रे में संबंध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है हाँ/ नहीं.

वनरप्ति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने  
ले उप वन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है हाँ/ नहीं.

रक्तीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विजिट रिपोर्ट सिफारिशों - ३०१९ मार्च २०२२  
वे निम्नों से ०१ ग्रैव के ११० वरिलों की ८३२ जग्जी वाली लाभकारी हैं;

पान: अंग निम्नों की स्काइटर्ड एक्स्प्रेस की जाती है,

उपरीय:

अंगेश

→ २१/४२/२०२२

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

वाटरजॉना वनरोपण विभाग

विविध सोयम वन प्रधान,

भरतपुरा,

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र - ३०८२१५४.

(ii). जिला - मलाई.

(iii) जिला वन प्रभाग - शिक्किम ६०५ वा ५३॥। असाम।

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र - ३०८२१५४ से ३०८२१५२ तक ३५२८ एकड़ी भूमि आविसागर भौमा भौमा,

17. पूर्वेक्षण के लिए महत्वानी गई वन भूमि की विधिवत प्रारिधिति - ८०८२१५२ = ३०८० H.A.

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा - ३५२, ०५८.

(i) वन का प्रकार - डैल झौरिकू.

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व ०.१

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना - संस्कृत.

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - कोई नहीं.

19. भूस्तरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी - गुश्वरी की उमामाई

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : १.०० K.M.

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : - कोई नहीं.

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा : अवृद्धि का नियम वन्यजीव

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अन्धवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के बाहर और उपावन्द किए जाए में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपावन्द की जाए) - नहीं,

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बाहर और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावन्द की जाए) - नहीं,

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे एवं उन उत्तरार्द्ध के निर्वाक्षण के लिए योग्यता वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बाहर और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावन्द की जाए) - कोई नहीं,

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किरण के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके बाहर - कोई नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावन्द किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यौरा दें) - नहीं,

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :

i) क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। ३५८२१५२ वा ३०८२१५२ वा जूही है,